क्रम-संख्या —244

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890
लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०–41
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

**लखनऊ, सोमवार 2 सितम्बर, 2002**
भाद्रपद 11, 1924 शक सम्वत्

### उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1610/सत्रह–वि–1–1(क)-17–2002
लखनऊ, 2 सितम्बर, 2002

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2002 पर दिनांक 31 अगस्त, 2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2002 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2002

( उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2002 )

[ जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ ]

उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 27 जून, 2002 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 1975 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में,—

(एक) उपधारा (2) में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(क) एक प्रबन्ध निदेशक, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा";

(दो) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

"(2-क) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नियंत्रण अधिनियम, 1975 में या उसके अधीन जारी किसी निदेश में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (2) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट सदस्य की नियुक्ति, ऐसी अर्हता और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से, ऐसी रीति से की जायेगी जो विहित की जाय।"

विद्यमान रिक्ति के संबंध में विशेष उपबन्ध

3—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्ध, प्रबन्ध निदेशक के पद में ऐसी किसी रिक्ति के सम्बन्ध में भी लागू होंगे जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व से विद्यमान हो।

**स्पष्टीकरण:**—पद "प्रबन्ध निदेशक" का वही अर्थ होगा जो मूल अधिनियम में उसके लिए समनुदेशित है।

निरसन और अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2002 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2002

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

ए० बी० शुक्ला,

प्रमुख सचिव।

---

## उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 1975) की धारा 4 में उत्तर प्रदेश जल निगम के गठन और उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की व्यवस्था है। उक्त धारा की उपधारा (2) का खण्ड (क), राज्य सरकार को एक अर्हित अभियन्ता को, जिसे प्रशासन और जल संभरण और सीवर व्यवस्था संबंधी कार्यों का अनुभव हो, प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिये सशक्त करता था किन्तु उक्त अधिनियम में न तो प्रबन्ध निदेशक के पद की अर्हता और न ही नियुक्ति की रीति उपबन्धित थी और न ही राज्य सरकार को इसके संबंध में नियमावली बनाने के लिये विशेष रूप से सशक्त किया गया था, अतएव यह विनिश्चय किया गया कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नियंत्रण अधिनियम, 1975 में या उसके अधीन जारी किसी निदेश में निहित किसी बात के होते हुये भी प्रबन्ध निदेशक की अर्हता, अनुभव और नियुक्ति की रीति विहित करने के लिये राज्य सरकार को सशक्त करने हेतु उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 जून, 2002 को उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2002) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

No. 1610 (2)XVII–V–1–1 (KA)-17-2002

*Dated Lucknow, September* 2, 2002

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Jal Sambharan Tatha Sewer Vyawastha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2002 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 2 of 2002) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 31, 2002 :—

# THE UTTAR PRADESH WATER SUPPLY AND SEWERAGE (AMENDMENT) Act, 2002

(U.P. Act no. 2 of 2002)

*[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]*

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975.*

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows:—

Short title and Commencement

1.(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage (Amendment) Act, 2002.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 27, 2002.

Amendment of section 4 of U.P. Act no. 43 of 1975

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975, hereinafter referred to as the principal Act,—

*(i)* in sub-section (2), *for* clause *(a)* the following clause shall be *substituted*, namely:—

"*(a)* a Managing Director to be appointed by the State Government";

*(ii) after* sub-section (2) the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(2–A) Notwithstanding anything contained in the Uttar Pradesh State Control Over Public Corporations Act, 1975 or in any direction issued thereunder, the member referred to in clause *(a)* of sub-section (2) shall be appointed from amongst the persons possessing such qualifications and experience and in accordance with such manner as may be prescribed."

Provisions with respect to existing vacancy

3. Notwithstanding anything contained in any judgement, decree or order of any court, the provisions of the principal Act as amended by this Act, shall apply also in respect of a vacancy in the post of Managing Director, existing from before the commencement of this Act.

*Explanation:*—The expression "Managing Director" shall have the meaning assigned to it in the principal Act.

Repeal and saving

4. (1) The Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage (Amendment) Ordinance, 2002 is hereby repealed. U. P. Ordinance no. 9 of 2002

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

A.B. SHUKLA,

*Pramukh Sachiv.*

---

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 4 of the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975 (U. P. Act no. 43 of 1975) provides for the constitution of the Uttar Pradesh Jal Nigam and the appointment of the Chairman and the members thereof. Clause *(a)* of sub-section (2) of the said section empowered the State Government to appoint a qualified engineer having experience in administration and water supply and sewerage works as the Managing Director but neither the qualifications and the manner of appointment to the post of the Managing Director was provided in the said Act nor the State Government was specifically empowered to make rules with respect thereto. It was, therefore, decided to amend the said Act to empower the State Government to prescribe qualifications, experience and the manner of appointment of the Managing Director notwithstanding anything contained in the Uttar Pradesh State Conurol Over Public Corporations Act, 1975 or in any direction issued thereunder.

Since the State Legislatutre was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage (Amendment) Ordinance, 2002 (U. P. Ordinance no. 9 of 2002) was promulgated by the Governor on June 27, 2002.

This Bill is inuroduced to replace the aforesaid Ordinance.

पी०एस०यू०पी-ए०पी० 533 राजपत्र (हि०)—(1242)—2002—597—(कम्प्यूटर/आफसेट) ।

पी०एस०यू०पी-ए०पी० 145 सा० विधा०—(1243)—2002—850—(कम्प्यूटर/आफसेट) ।